23

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

करण संख्या 67/2021
कास कुमार रायका पुत्र इन्द्राज रायका, जाति रेबारी, निवासी बारवा, नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (जी0ए0) जिला कलक्टर, जिला झुंझुनूं।
——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन पिकअप नम्बर आर0जे0 18 जीबी 9558 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 254/2021 पुलिस थाना खेतडी अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट

उपस्थितः–

1. एडवोकट श्री नेमीचन्द डूडी, एडवोकेट —प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.05.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त वाहन पुलिस थाना खेतडी मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 254/2021 पुलिस थाना खेतडी मे अ0धा0 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त है जिसको अपनी सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का वाहन जप्त है जिसको प्रार्थी जरिये रजि0 मालिक अपनी सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी का वाहन थाने मे खुले मे खडा होने के कारण धूप व धूल से खराब होने का पूरा अन्देशा बना हुआ है। प्रार्थी को अपने वाहन की हर समय जरूरत रहती है। और प्रार्थी का वाहन वाहन राष्ट्रीय सम्पत्ति है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनाम पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडी ने अपने पत्रांक 6267 दिनांक 06.05.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि जिसके अनुसार दिनांक 01.04.2021 को मन वृताधिकारी विजय कुमार आर.पी.एस. मय सरकारी वाहन चालक यशपाल 1075 के वक्त 12:30 पीएम पर मय अनुसधान बॉक्स मय लेपटॉप प्रिंटर मय जिला स्पेशन टीम प्रभारी श्री कल्याण सिंह, सउनि मय जाप्ता श्री अजय कुमार कानि0 284, सुरेन्द्र काजला 1354, विक्रम सिंह 1265, विकास कटेवा चालक कानि 215, वाहन कैम्पर सरकारी आर आरजे 18 यूबी 8973 मय श्री भीमसिंह एचसी नं0 2567 क्यूआरटी टीम जिला झुंझुनूं मय जाप्ता राधेश्याम कानि0 1129, संजय कुमार 1373, संजय कुमार 1379, अमित कुमार चालक कानि नं0 1396 मय कैम्पर सरकारी नं0 आरजे 18 यूबी 0382 के गश्त व अवैध कारोबारियों की धरपकड हेतु कार्यवाही करता हुआ मौजा बेसरडा मे चैकिंग कर रहा था कि जरिये मुखबीर खास ने सूचना दी कि बसई से जमालपुर जाने वाले रास्ते पर हरियाणा की तरफ से आने वाले रास्ते पर एक सफेद रंग की बिना नम्बरी पिकअप गाडी मे हरियाणा से डीजल व पैट्रोल भरकर राजस्थान मे बेचने के लिए लाकर खडी कर रखी है जिसकी निगरानी एक दूर खडा व्यक्ति कर रहा है आदि सूचना विश्वसनीय होने पर सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत कराया जाकर समय 12.45 पीएम पर मौजा बेसरडा से रवाना होकर समय 1.15 बजे आम रास्ता मौजा बसई से जमालपुर जाने वाले पर हरियाणा से आने वाले रास्ते के पास पहुंचा कि एक सफेद रंग की बिना नम्बरी सफेद रंग की पिकअप खडी हुई

ला कलक्टर झुन्झुनूं

24

...ाई दी जिसमे देखा गया तो 9 बडे व 1 छोटा ड्रम रखा हुआ था। गाडी से डीजल पैट्रोल की बदबू आ ...थी जिसको चैक करने हेतु स्वतंत्र मौतबिरान की तलाश की गई लेकिन कोई भी स्वतंत्र मौतबीर नही ...। ऐसी सूरत मे हमराही जाप्ता मे से श्री कल्याण सिंह सउनि जिला स्पेशल टीम व श्री भीमसिंह ...नं0 2567 क्यूआरटी टीम झुंझुनूं को मौतबीर मामुर कर पिकअप को चैक किया गया तो पिकअप ... बिना नम्बरी है जिसके ईंजन नम्बर TNL1C44562 व चेचिस नम्बर MA1ZC4TNKL1C30002 है जिसमे 9 ... बडे डीजल के भरे हुए व 1 ड्रम छोटा अवैध पैट्रोल का भरा हुआ है। जिसके डाला मे पीछे लकडी के ...ट लगे हुए है जिसके मालिक की तलाश की गई तो आसपास मौजूद नही मिला। पिकअप गाडी बिना ...री के चालक अज्ञात द्वारा बिना लाईसेन्स व वैध परमिट के अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु ...धिनियम 1955 की खिलाफ वर्जी करना पाये जाने पर ड्रमो को चैक किया गया तो बडे ड्रमों मे प्रत्येक मे ... लीटर डीजल व छोटे ड्रम मे 40 लीटर पैट्रोल मौजूद है। पिकअप गाडी की केबिन मे ड्राईवर सीट के ... एक नम्बर प्लेट पडी हुई है जिस पर नम्बर आरजे 18 जीबी 9558 लिखे हुए है। वाहन के टूल बॉक्स ...क आरसी नम्बर आरजे 18 जीबी 9558 की व ड्राईवर लाईसेन्स की प्रति है। आरसी व लाईसेन्स धारक ...कास कुमार राईका पुत्र इन्द्राज राईका निवासी वार्ड नं0 8 बारवा, नवलगढ, झुंझुनूं लिखा हुआ है। जिस ... नन वृत्ताधिकारी मय हमराही जाप्ता ममय जप्तशुदा बतौर वजह सबूत डीजल व पैट्रोल मय नमूना ...म्पल व कन्ट्रोल सम्पल मय पिकअप गाडी के अज्ञात मुल्जिम की तलाश करता हुआ हाजिर थाना आया ...दि पर मुकदमा नम्बर 254/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे दर्ज कर तप्तीश श्री ...नलाल उप निरीक्षक के जिम्मे की गई। दौराने अनुसंधान उप निरीक्षक ने बयानात परिवादी व गवाहान ... लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किये गये घटना स्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका मुर्तिब किया ...या। प्रकरण हाजा मे वाहन पिकअप मालिक व आरोपी के उपस्थित नही होने पर नोटिस धारा 133 एमवी ...ट तथा धारा 134 एमवी एक्ट दिया जाकर जबाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी से ...ताछ की जाकर पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी रोहिताश पुत्र श्री परतुराम ...ति गुर्जर निवासी देवीपुरा बणी पीएस उदयपरुवाटी जिला झुंझुनूं के खिलाफ जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट ...माणित पाये जाने पर चैक लिस्ट मुर्तिब कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर घटना स्थल तस्दीक ...रवाया गया। बाद तफ्तीश मुल्जिम रोहिताश को न्यायिक अभिरखा मे भिजवाया गया। प्रकरण हाजा मे ...प्तशुदा पिकअप गाडी नम्बर आरजे 18 जीबी 9558 चेचिस नम्बर MA1ZC4TNKL1C30002 के वाहन ...ालिक से तकमील तप्तीश पूर्ण की जा चुकी है। जप्तशुदा वाहन से कोई तप्तीश शेष नही है। अतः ...प्तशुदा पिकअप गाडी को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिये जाने की अनुशंषा की जाती है साथ ही जप्तशुदा ...ीजल 1800 लीटर व पैट्रोल 40 लीटर के निस्तारण के आदेश दिये जाने का भी निवेदन किया है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये ...थन किया कि जप्तशुदा उपरोक्त वाहन पुलिस थाना खेतडी मे खडा–खडा खराब होने की संभावना है। ...र्थी ने अ0धा0 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में कोई अपराध कारित नही किया है। पुलिस जांच मे भी ...ाहन मालिक दोषी नही पाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर प्रार्थी को वाहन नं0 आर0जे0 ...8 जीबी 9558 सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का ...ाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 254/2021 पुलिस थाना खेतडी में अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट में ...प्त है। प्रार्थी द्वारा पिकअप सं0 आर0जे0 18 जीबी 9558 का उपयोग अवैध रूप से 1800 लीटर डीजल (9 बडे ड्रम प्रत्येक 200 लीटर) 40 लीटर पैट्रोल (1 छोटा ड्रम) जो कि बिक्री के उद्देश्य से हरियाणा ...े लाया जा रहा था के लिए किया है जो कि ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना ...त्र खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(25)

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार से है –

1. प्रकरण मे डीजल हरियाणा से लाया गया है। जप्त डीजल की मात्रा 1800 लीटर (9 बडे ड्रम प्रत्येक 200 लीटर) व 40 लीटर पैट्रोल (एक छोटा ड्रम) है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल एवं पेट्रोल वहां से लाकर बेचने हेतु लाया जा रहा था।
2. प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना तथा जप्त वाहन संख्या आरजे 18 जीबी 9558 सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित समझते है
3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 1800 लीटर (9 बडे ड्रम) 40 लीटर पैट्रोल (एक छोटा ड्रम) का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विकय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें जो जमा राशि एफ.आई.आर. 254/2021 (आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अध्ययधीन रहेगी तथा जप्त वाहन पिकअप सं0 आरजे 18 जीबी 9558 को 05–05 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडी को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.05.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं